

432

308

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प



C.F.  
Rs. 20/-

भैयाराम तनय शांभनाथ गोइरी निवासी सा० ओइगडी,  
तहसील-देवसर, जिला-सिंगरौली म०प्र०

-----आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- श्रीमती दशमतिा बेबा पत्नी लल्लाराम बैस,
  - 2- रामसुभग तनय लल्लाराम बैस,
  - 3- मु० लल्ली पत्नी रामायण बैसवार,
  - 4- जगतनारायण तनय सियाराम बैस ग्राम-धरसड़ा,
  - 5- कृपाशंकर तनय स्व० रामायण प्रसाद बैस
  - 6- रमाशंकर तनय रामायण प्रसाद बैस नाबालिग
  - 7- विमला तनय रामायण प्रसाद बैस नाबालिग
- कमांक 5 ता 7 जरिये संरक्षिका मां मु० लल्ली बेबा  
रामायण प्रसाद बैस, सभी निवासी ग्राम-ओइगडी,  
तहसील-देवसर, जिला-सिंगरौली म०प्र०
- 8- तेजबली तनय राजाराम गोइरी, साकिन-बैदन,  
तहसील-सिंगरौली, जिला-सिंगरौली म०प्र०

----- अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश  
अपर कलेक्टर महोदय सिंगरौली  
द्वारा प्रकरण 88/निगरानी/11-12  
में पारित आदेश दिनांक  
19-09-12

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०  
भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी प्रकरण के आधारों को उल्लिखित करने  
के पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख  
किया जाना आवश्यक है जो निम्न है:-


20/11/12

308

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.929-III/13 जिला-सिंगरौली

धर्मधाराम विरुद्ध श्रीमती दशमोदिया

(1)	(2)	(3)
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>रामरेश मिश्रा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला <u>सिंगरौली</u> के प्रकरण क्रमांक <u>88/निगरानी/2011-12</u> में पारित आदेश दिनांक <u>19.09.12</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>26.03.19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

